प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 25/2024)

तत्काल प्रकाशन हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा)
विनियामकों की संयुक्त समिति (जेसीओआर) की बैठक

नई दिल्ली, 22 मई, 2024 - भादूविप्रा द्वारा दिनांक 21 मई 2024 को नई दिल्ली स्थित भादूविप्रा के मुख्यालय में विनियामकों की संयुक्त समिति (जेसीओआर) की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में जेसीओआर के सदस्यों के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), उपभोक्ता मामले मंत्रालय (एमओसीए) और भादूविप्रा के प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा दूरसंचार विभाग (डीओटी) और गृह मंत्रालय (एमएचए) के प्रतिनिधियों ने विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में भाग लिया। भादूविप्रा के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार लाहोटी ने भी इस आयोजित बैठक को संबोधित किया। डिजिटल दुनिया में विनियामक निहितार्थों का अध्ययन करने और विनियमों पर सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के उद्देश्य से गठित विनियामकों की संयुक्त समिति (जेसीओआर) भादूविप्रा की एक सहयोगी पहल है।

अवांछित वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) सामान्य जन के लिए असुविधा का एक प्रमुख स्रोत है और इससे व्यक्तियों की गोपनीयता का उल्लंघन होता है। यूसीसी का दुरुपयोग धोखेबाजों द्वारा भी किया जाता है। इस बैठक में यूसीसी और दूरसंचार संसाधनों के माध्यम से धोखाधड़ी से निपटने के लिए विभिन्न संभावित सहयोगात्मक दृष्टिकोण और उपायों पर भी चर्चा की गई। बैठक में चर्चा किए गए प्रमुख मुद्दे नीचे दिए गए हैं:

- अनाधिकृत 10 अंकों वाले मोबाइल नंबरों तथा लैंडलाइन नंबरों से आने वाली अवांछित कॉलें।
- प्रमुख संस्थाओं (दूरसंचार संसाधनों का उपयोग करके वाणिज्यिक संचार करने वाली संस्थाएँ) द्वारा प्रचार कॉल करने के लिए 140 श्रृंखलाओं (सीरीज़) का उपयोग।
- प्रमुख संस्थाओं द्वारा 160 श्रृंखला (सीरीज़) का उपयोग सेवा और लेनदेन संबंधी कॉल करने के लिए ताकि उपभोक्ताओं द्वारा आसानी से कॉल की पहचान की जा सके।
- यूसीसी कॉल और संदेशों की रोकथाम में प्रमुख संस्थाओं, विशेषकर बीएफएसआई (बैंकिंग, वित्त सेवाएँ और बीमा) क्षेत्र की संस्थाओं की भूमिका।
- एक सरल और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा स्थापित डिजिटल सहमति अधिग्रहण (डीसीए) प्रणाली के जरिये प्रमुख संस्थाओं द्वारा डिजिटल सहमति प्राप्त करना, जिसमें ओटीपी का उपयोग करके ग्राहक से उचित सत्यापन किया जाता है। डीसीए ग्राहकों द्वारा सहमति को रद्द करने की भी अनुमति देता है।
- कंटेन्ट टेम्पलेट्स में यूआरएल/एपीके/ओटीटी लिंक/कॉल बैक नंबरों की श्वेतसूची बनाना।
- दूरसंचार संसाधनों का उपयोग करके धोखाधड़ी पर नियंत्रण करना और केवाईसी प्रक्रिया को और मजबूत करना।
- प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से जानकारी साझा करना।

ह/-
(वी. रघुनंदन)
सचिव, भादूविप्रा